निशुल्क प्रकाशनार्थ

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद बांदा

दिनांक 30-10-2021

पत्रांक : मुचिअ0 / एन0यू0एच0एम0 / भवन / 2021–22

सूचना

किराये पर भवन की आवश्यकता हेतु

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लखनउ के पत्र संख्या SPMU/NUHM/GUIDELINE/2020-21/47/2679-75 DATE , एवं जिला स्वास्थ्य समिति बांदा ,के अनुपालन में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अर्न्तगत बांदा अर्बन में नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाना है। भवन मलिन आबादी क्षेत्र (खाईपार , अलीगंज, सेढ़ूतलैया ,गुलाबबाग,मर्दननाका,मढियानाका) में उपलब्ध होना चाहिये। भवन हेतु शर्ते निम्नवत है–

1. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु कम से कम 8 से 9 कमरे के भवन की आवश्यकता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 714 वर्गफुट अर्थात 66.48 वर्ग मीटर हो,कारपेट एरिया का न्यून्तम 25 से 30 प्रतिशत अंश दीवार एवं सरकुलेशन का हो, इस प्रकार भवन का कुल क्षेत्रफल कम से कम 964 वर्गफुट अर्थात 89.58 वर्गमीटर हो।

क्रमांक	सुविधा	आवश्यक न्यूनतम कारपेट एरिया (स्क्वायर फिट में)
1	ओ0पी0डी0 रूम	80
2	पैथोलॉजी लैब	48
3	औषधि भण्डार एवं वितरण	36
4	टीकाकरण / प0क0 काउन्सिलिंग	64
5	प्रसव कक्ष	120
6	स्टाफ नर्स कक्ष, वेटिंग रूम व पंजीकरण	150
7	शौचालय 02 नग	60
8	स्टरलाइजेशन एवं माइनर ओटी	36
9	वार्ड कम से कम 02 बेड	120
	योग	714 वर्ग फुट अर्थात 66.48 वर्ग मीटर

2. भवन में विद्युत कनेक्शन हो तथा बिजली व पानी की नियमित आपूर्ति हो। मरीजों हेतु एम्बूलेन्स आदि वाहनों के आने जाने का पर्याप्त रास्ता हो।
3. किराये के भवन हेतु एक वर्ष के लिये अनुबन्ध किया जायेगा, जिसे प्रतिवर्ष नियमानुसार नवीनीकरण किया जा सकता है, एवं भवन का अधिकतम किराया 17325/– प्रतिमाह देय होगा।
4. बिजली बिल का भुगतान सबमीटर के आधार पर किया जायेगा,जो भवन स्वामी द्वारा लगवाया जायेगा।
5. इच्छुक भवन स्वामी भवन के नक्से के साथ दिनांक 29-11-2021 को सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आवेदन कर सकते है।

नोडल अधिकारी
एन0यू0एच0एम0 बांदा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बांदा।

पत्रांक : मुचिअ0 / एन0यू0एच0एम0 / भवन / 2021–22 / 6383-2 दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला सूचना अधिकारी बांदा को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रचलित समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु।
2. जिला सूचना एवं प्रद्योगिक अधिकारी जनपद बांदा को इस आशय के साथ कि एन0आई0सी0 की वेबसाइट में लोड करने हेतु।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बांदा।